

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ।

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./26/2016-17/5555 दिनांक: 15-9-16

विषय:- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग- इनबॉर्न एरर ऑफ़ मेटाबोलिज़्म प्रोजेक्ट के वर्ष 2016-17 में संचालन हेतु वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत Newborn screening for Inborn Error of Metablism (IEM) प्रोजेक्ट, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन आर.ओ.पी. 2014-15 एवं 2016-17 में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाना है जो इस प्रकार है-

- Existing HR at facilities (delivery points under this initiative) to be involved in blood sample collection. To make the initiative sustainable existing HR at facilities to be involved rather hiring staffs exclusively.
- IEM screening to be universally offered to all children born in respective facilities under this initiative.
- To ensure that newborns in selected facilities are comprehensively screened as per RBSK comprehensive screening for defect at birth (Screening guidelines for visual and structural defects at births).
- Newborn to be tracked with their MCTS numbers.
- Identified positive children have to be appropriately managed and to be notified to respective RBSK Mobile Health Teams for followup for developmental delay.
- Identification and management protocol to be standardised through human ethics board of university and to be shared with National RBSK unit.
- The modalities to be finalized in consultation with National RBSK unit for screening of inborn error of metabolism as per RBSK comprehensive defects as per birth screening guidelines.
- Procurement to follow to State norms of procurement.
- The institute will be responsible for followup of the children found affected with the IEM conditions and ensuring ready availability of management/treatment for such children for :
 - Evaluation of sensory development specially hearing and vision for which the affected children are known to suffer,
 - Evaluation of cognition through standard tools,
 - Regular anthropometry,
 - Management and evaluation protocol to be devolved for for above conditions and shared with State and National RBSK unit.

अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	एफ.एम.आर कोड	कार्यक्रम हेतु अनुमोदित धनराशि	कार्यालय के पत्र दिनांक 22. 07.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली अवशेष धनराशि
1	ए.5.1.5	206.07 लाख	15.00 लाख	191.07 लाख

उक्त कार्य हेतु यह धनराशि जिला स्वास्थ्य सोसाइटी लखनऊ के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है। उक्त गतिविधि हेतु उपरोक्त धनराशि रु० 191.07 लाख निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निम्न दर्शाये गये खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

Account name of holder : Director, SGP GIMS, Lucknow
Account Number : 10095237355
IFSC Code : SBI N0007789

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम. यू./एन.आर.एच.एम./2012-13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/ 5067-2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रोजेक्ट का नियमित अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./26/2016-17/ तद्दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
2. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ।
3. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उक्त प्रोजेक्ट में सहयोग प्रदान करने हेतु।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र० को इस आशय से कि वे उक्त प्रोजेक्ट के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
5. डा. शुभा फड़के, (एम.डी, डी.एम.) विभागाध्यक्ष, मेडिकल जेनेटिक्स एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ के खाते में अवमुक्त कर दी गई है अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से समन्वय स्थापित कर धनराशि प्राप्त करने का कष्ट करें, जिसका उपयोग आर.ओ.पी. में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाए। उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./2012-13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/ 5067-2 दिनांक 04.02.2015 (सलग्न) के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. वित्त नियंत्रक, एन.एच.एम. एस.पी.एम.यू. लखनऊ।
7. मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/डी.ई.आई.सी. मैनेजर एन.एच.एम. जनपद लखनऊ।

(डा० स्वप्ना दास)
महाप्रबंधक आर.बी.एस.के.

40
2016

**Administrative Approval:
Uttar Pradesh
Programme Implementation
Plan 2016-17**

FM R code	Budget Head	Unit Cost (Rs)	Qua ntity / Targ et	Amoun t Propos ed (Rs. Lakhs)	Amou nt Appro ved (In Lakhs)	Remarks
A.5. 1.5	New born screening- Inborn error of metabolism (please give details per unit cost of screening, number of children to be screened and the delivery points Add details)		1	206.07	206.07	Rs. 206.07 lakhs is approved. Note : Rs 125.49 lakhs approved in FY 2014-15 is to be used. conditionality - Existing HR at facilities (delivery points under this initiative) to be involved in blood sample collection. To make the initiative sustainable existing HR at facilities to be involved rather hiring staffs exclusively. IEM screening to be universally offered to all children born in respective facilities under this initiative, State to ensure that newborns in selected facilities are comprehensively screened as per RBSK comprehensive defect at birth screening guidelines for visual and structural defects at births. Newborns to be tracked with their MCTS numbers. Identified positive children has to be appropriately managed and to be notified to respective RBSK Mobile health teams for followup for developmental delay. Identification and management protocol to be standerdised through human ethics board of university and to be shared with National RBSK unit. The modalities to be finalised in consultation with National RBSK unit for screening of inborn error of metabolism as

FM R cod e	Budget Head	Unit Cost (Rs)	Qua ntity / Targ et	Amoun t Propos ed (Rs. Lakhs)	Amou nt Appro ved (In Lakhs)	Remarks
						per RBSK comprehensive defects at birth screening Guidelines.
A.5. 1.6	Booklet for ASHAs for Identification of Birth Defects					
A.5. 1.7	Spectacle for children	275.00	1,00,000	275.00	275.00	Approved for Spectacles for school children not covered under NPCB. Under NPCB Guidelines children are covered in the age group of above 14 years. State to use NPCB which has a logistics arrangement at States/UTs, for children who need spectacles even below the age groups covered under NPCB. Note State has an approval of Rs 200 lakhs in FY 2015-16 for this activity, of this only Rs 2.78 lakhs has been indicated as expenditure. State to update physical and financial achievement of the approval